मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 28, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले में रेत निकासी में रायल्टी की चोरी होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, प्रदेश में शासकीय योजनाओं हेतु जमीन विनिमय की प्रणाली जटिल होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जेवियर मेड़ा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले में मनरेगा एवं बायोफ्यूल मिशन योजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, बड़वाह क्षेत्र के सनावद नगर स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141, भोजपुर के सदस्य, श्री सुरेन्द्र पटवा को जुलाई, 2011 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145 बासौदा के सदस्य, श्री हरी सिंह रघुवंशी (बड्डा) को जुलाई, 2011 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -

(क) राजगढ़ में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(ख) सरदारपुर एवं राजगढ़ में गैस एजेन्सी खोले जाने,

(ग) ग्राम रिंगनोद से मालपुरिया तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(घ) सरदारपुर के वार्ड क्रमांक-2 में खरंजा एवं पुलिया निर्माण किये जाने,

(2) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) ग्राम बरूगढ़ के माध्यमिक विद्यालय तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम सोहनगढ़ से कंचनखेड़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम कलालिया से झालवा तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(घ) रतलाम के जवाहर नगर में बगीचे का निर्माण किये जाने,

(3) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) सोनकच्छ में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने, तथा

(ख) सोनकच्छ में बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने,

(4) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) ग्राम रसीलपुर में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम विनती में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत देवरागढ़ी एवं ग्राम बरखेरा कलार के अनु.जा. मोहल्ले में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम बगुरिया में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(5) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के विकासखंड सांईखेड़ा एवं बाबई चिचली में होम्योपैथिक अस्पताल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2011